विचार विमर्श हेतु प्रारूप

राष्ट्रीय ग्रामीण सुनिश्चित रोजगार गारंटी अधिनियम, 2004

क्र.सं.	शीर्षक	पेज संख्या
1.	संक्षिप्त शीर्षक कार्य क्षेत्र, एवं प्रारम्भ	2
2.	परिभाषाएं	2
3.	ग्रामीण क्षेत्रों में सभी वयस्कों को रोजगार की गारंटी	3
4.	केंद्रीय कौंसिल और उसके कार्य	3
5.	राज्य कौंसिल व उसके कार्य	4
6.	कार्यक्रम क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार अधिकारी	4
7.	कार्यक्रम के आवश्यक तत्व	4
8.	रोजगार गारंटी की शर्तें	5
9.	कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार प्राप्त मजदूरी के अधिकार	6
10.	बेरोजगारी भत्ता	7
11.	ग्राम पंचायत और कार्यक्रम अधिकारी के कार्य	8
12.	पारदर्शिता एवं जवाबदेही	9
13	अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन पर दण्ड	9
14.	राष्ट्रीय गारंटी कोष की स्थापना व उपयोग	10
15.	राज्य रोजगार गारंटी कोष की स्थापना उपयोग	10
16.	शक्तियों का हस्तान्तरण	11
17.	कानून का निरस्तीकरण प्रभाव	11
18.	नियम बनाने की शक्तियां	11

प्रारूप

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून, 2004

(ग्रामीण क्षेत्रों में काम के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए अकुशल शारीरिक काम करने के इच्छुक सभी वयस्कों को कानून द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी पर रोजगार की गारंटी देने वाला कानून)

चूंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 41 के अंतर्गत काम के अधिकार को सुरक्षित रखने के प्रभावी प्रावधान बनाना राज्य की जिम्मेदारी है;
और चूंकि काम के अधिकार को प्राप्त करना अन्य संवैधानिक अधिकारों जैसे–जीवन का अधिकार, भोजन का अधिकार तथा शिक्षा का अधिकार आदि के लिए भी आवश्यक है;
और चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अकुशल शारीरिक श्रम की इच्छा रखने वाले सभी वयस्क लोगों को रोजगार की गारंटी देना काम के अधिकार को दिलाना, काम का अधिकार प्राप्त करने की दिशा में प्रमुख कदम होगा;
और चूंकि रोजगार गारंटी का कार्यक्रम ढांचागत विकास, सामाजिक समानता, पर्यावरण संरक्षण तथा महिला सशक्तीकरण जैसे अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक हो सकता है;
और चूंकि रोजगार गारंटी कार्यक्रम के प्रति विकेन्द्रित दृष्टिकोण विकास योजना बनाने तथा स्थानीय स्वशासन में जनता की सहभागिता को बढ़ावा देगा
और चूंकि कुछ अनुपूरक, आकस्मिक तथा परिणाम आधारित प्रावधान करना जरूरी होता है.
इसे भारतीय गणतंत्र के चौंवनवें वर्ष में निम्नवत् लागू किया गयाः

1. संक्षिप्त शीर्षक, कार्यक्षेत्र एवं आरंभ

1. इस कानून को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून, 2004 कहा जाएगा।
2. इसका विस्तार भारतवर्ष के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में मय, पांचवी व छटी अनुसूचित क्षेत्रों में शामिल इलाकों, सिवाय जम्मू व कश्मीर–राज्य के होगा।
3. भारत सरकार द्वारा सरकारी गजट में जारी की गई तारीख पर यह उन सभी क्षेत्रों में लागू होगा जहां तक इसका विस्तार होगा। अलग–अलग राज्यों या उनके भिन्न–भिन्न क्षेत्रों के लिए राज्य सरकारें भिन्न तारीखें निर्धारित कर सकेंगी, बशर्ते ये कानून केंन्द्र द्वारा कानून लागू करने के दो वर्षों के अंदर भारत के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में लागू हो जाएं।

2. परिभाषाएं

इस कानून में जब तक अन्य संदर्भ की आवश्यकता न होः

क. **'वयस्क'** का अर्थ 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके व्यक्ति से होगा;
ख. **'केंद्रीय कौंसिल'** का अर्थ धारा 4 के अंतर्गत गठित केंद्रीय रोजगार गारंटी कौंसिल से होगा;
ग. **'राज्य कौंसिल'** का अर्थ धारा 5 के अंतर्गत गठित राज्य रोजगार गारंटी कौंसिल से होगा;
घ. **'कार्यक्रम'** का अर्थ धारा 7 के अंतर्गत तैयार तथा प्रकाशित एवं उस समय लागू रोजगार गारंटी कार्यक्रम से होगा;
च. **'प्रार्थी'** का अर्थ उस व्यक्ति से होगा जिसने धारा 8 के अंतर्गत रोजगार गारंटी कार्यक्रम में आवेदन दिया है;

छ. **'परियोजना'** का अर्थ प्रार्थियों को रोजगार देने के उद्देश्य से कार्यक्रम के अंतर्गत कराए जाने वाले किसी भी काम से होगा;

ज. बी और सी दर्जे की नगरपालिकाएं **'ग्रामीण क्षेत्रों'** में शामिल होंगी;

झ. **'क्रियान्वयन एजेंसी'** का अर्थ कार्यक्रम के अंतर्गत किसी काम को कराने की जिम्मेदारी उठाने वाला केन्द्र या राज्य सरकार का कोई विभाग, जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय अधिकरण या सरकारी अंडरटेकिंग होगी;

ट. **'कार्यक्रम अधिकारी'** का अर्थ धारा 6 के अंतर्गत एक खास ब्लाक में कार्यक्रम का निरीक्षण करने के लिए नियुक्त अधिकारी से होगा;

ठ. **'उत्पादक कार्य'** का अर्थ राज्य कौंसिल की नजर में किसी भी ऐसे काम से होगा जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्थाई परिसंपत्तियों पर्यावरण संरक्षण, उत्पादन बढ़ाने, या जीवन की गुणवत्ता सुधारने में योगदान दे सकेगा;

ड. अकुशल शारीरिक श्रम का अर्थ है मूलतः शारीरिक श्रम जिसमें संभव हो तो उत्पादक कार्य के लिए आवश्यक कुशलता शामिल है;

ढ़. राष्ट्रीय कोष से तात्पर्य, धारा 14 के अंतर्गत स्थापित राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष से होगा;

प. राज्य कोष से तात्पर्य धारा 15 के अतंर्गत स्थापित राज्य रोजगार गारंटी कोष से होगा;

फ. **'निर्धारित'** का अर्थ इस कानून के अंतर्गत निर्धारित नियमों से होगा;

3. ग्रामीण क्षेत्र के सभी वयस्कों को रोजगार की गारंटी

(1) इस कानून के प्रावधानों तथा इसके अंतर्गत बनाये कार्यक्रम के तहत, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक वयस्क को, कानून द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी पर अकुशल शारीरिक श्रम के माध्यम से रोजगार गारंटी तथा जिस सप्ताह कार्य किया है उसके बाद सात दिन के भीतर काम की मजदूरी प्राप्त करने का अधिकार होगा।

(2) जहाँ कहीं अकुशल शारीरिक श्रम के संबंध रोजगार गारंटी का राज्य कानून पहले ही लागू है वहाँ व्यक्ति को यह अधिकार होगा कि वह इस कानून के अंतर्गत या पूर्व से मौजूद राज्य कानून के अंतर्गत रोजगार प्राप्त करे।

4. केंद्रीय कौंसिल और उसके कार्य

1. इस कानून के क्रियान्वयन की समय–समय पर पर्यवेक्षण व समीक्षा के लिए केंद्र सरकार एक 'केंद्रीय रोजगार गारंटी कौंसिल' का गठन करेगी। केन्द्र सरकार 'केंद्रीय कौंसिल के अध्यक्ष, सदस्य सचिव तथा सदस्यों की नियुक्ति भी करेगी।
2. केंद्रीय कौंसिल में विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/योजना आयोग/राज्य सरकारों के साथ श्रमिक संगठनों तथा वंचित समुदायों का निश्चित प्रतिनिधित्व होगा। कम से कम एक तिहाई सदस्य महिलाएं होंगी, तथा कम से कम एक तिहाई सदस्य अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के होंगे। अन्य अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व भी सुनिश्चित होगा।
3. केंद्रीय कौंसिल निम्नोक्त कार्य करेगी : (प) केंद्रीय आंकलन व निगहबानी प्रणाली की स्थापना; (पप) केंद्र सरकार को इस कानून के क्रियान्वयन संबंधी सभी मामलों पर सलाह देना; (पपप) समय–समय पर कार्यक्रम के प्रबोधन पर्यवेक्षण तथा समस्या हल करने की व्यवस्था पर नजर रखना व आवश्यक व उचित सुधारों का सुझाव देना; (अप) कानून व कार्यक्रम के विषय में सूचना का व्यापकतम प्रसार करना; (अ) कानून की क्रियान्वयन क निगहबानी करना तथा संसद में प्रस्तुति के लिए वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना; (अप) कार्यक्रम नियमों के अंतर्गत निर्धारित अन्य ज़िम्मेदारियों का निर्वहन करना।
4. केंद्रीय कौसिंल को कार्यक्रम का मूल्यांकन करने तथा इस उद्देश्य से ग्रामीण अर्थव्यवस्था संबंधी आंकड़े एकत्रित करने या करवाने की क्षमता होगी।

5. राज्य कौंसिल और उसके कार्य

1. इस कानून के नियमित रूप से प्रबोधन तथा पुनरावलोकन के लिए प्रत्येक राज्य सरकार एक राज्य कौंसिल का गठन करेगी जिसे राज्य रोजगार गारंटी कौंसिल कहा जाएगा। राज्य कौंसिल की कम से कम एक तिहाई सदस्य महिलाएं होंगी तथा एक तिहाई सदस्य अनुसूचित जाति व जनजाति के। कौंसिल में श्रम संगठनों, वंचित समुदायों और स्थानीय निकायों के चयनित सदस्यों के उचित प्रतिनिधित्व का प्रावधान होगा।
2. राज्य कौंसिल की जिम्मेदारियों में शामिल होगा– ;पद्ध संबंधित राज्य में कार्यक्रम क्रियान्वयन तथा उससे संबंधित सभी मामलों में राज्य सरकार को सलाह देना; ;पपद्ध समय–समय पर कार्यक्रम के प्रबोधन तथा समस्या हल करने की व्यवस्था पर नजर रखना तथा आवश्यक होने पर सुधार की सलाह देना; ;पपपद्ध कानून तथा कार्यक्रम के बारे में यथासंभव व्यापकतम सूचना संप्रेषण; ;पअद्ध कानून तथा कार्यक्रम क्रियान्वयन का प्रबोधन तथा राज्य विधानसभा में प्रस्तुत करने के लिए वार्षिक रिपोर्टें तैयार करना; ;अद्ध कार्यक्रम नियमों के अंतर्गत निर्धारित कोई अन्य जिम्मेदारी।
3. राज्य कौंसिल, कार्यक्रम का मूल्यांकन करने और इस उद्देश्य से ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा कार्यक्रम क्रियान्वयन से संबंधित आंकड़े एकत्र करने या करवाने के लिए सक्षम होगा।

6. कार्यक्रम क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार अधिकारी

1. जिले में कार्यक्रम क्रियान्वयन की जिम्मेदारी जिलाधीश (या मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जैसी भी व्यवस्था हो) की होगी। इस उद्देश्य से जिले में स्थित राज्य सरकार और स्थानीय अधिकारियों के अन्य सभी कार्यालय, जिलाधीश/मुख्य कार्यकारी अधिकारी के प्रति जिम्मेदार होंगे। जिलाधीश/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्वयं जिला परिषद के प्रति जवाबदेह होगा।
2. राज्य सरकार प्रत्येक खण्ड (ब्लॉक) में एक कार्यक्रम अधिकारी की नियुक्ति करेगी, जो उस क्षेत्र में कार्यक्रम क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार होगा। कार्यक्रम अधिकारी पंचायत समिति और जिलाधीश मुख्य कार्यकारी अधिकारी के प्रति जवाबदेह होगा।
3. नियमों में निर्धारित प्रक्रियाओं द्वारा कार्यक्रम अधिकारी के किसी भी अधिकार व दायित्व को ग्राम पंचायत या किसी स्थानीय अधिकारी विशेष को हस्तांतरित किया जा सकेगा।
4. अकुशल रोजगार की मांग का अनुमान लगाने के लिए जिले के लिए एक श्रम बजट तैयार किया जाएगा, ताकि इस योजना के अंतर्गत कामों का नियोजन संभव हो।

7. कार्यक्रम के आवश्यक तत्व

1. धारा 3 उल्लिखित में रोजगार गारंटी को प्रभावी रूप देने के उद्देश्य से, कानून लागू होने के 6 महीने के भीतर प्रत्येक राज्य सरकार को ग्रामीण क्षेत्र में रहने तथा अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक सभी वयस्कों के लिए, इस कानून या कार्यक्रम की शर्तों के अंतर्गत रोजगार गारंटी का कार्यक्रम बनाना होगा।
2. इस कार्यक्रम के नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे तथा उनका सार–संक्षेप सभी संभागीय व स्थानीय समाचार पत्रों और अन्य माध्यमों से प्रसारित किया जाएगा;
3. इस कार्यक्रम के आवश्यक तत्वों में निम्न को समाहित किया जाएगाः

;पद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत केवल उत्पादक कामों को शामिल किया जाएगा। राज्य कौंसिल को अनुमोदित कामों तथा 'प्राथमिकता वाले कामों' की सूची बनानी होगी। प्राथमिकता वाले कामों का निर्धारण विभिन्न प्रकार के कामों के आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यावरण संबंधी लाभों और सामाजिक समानता में उनके योगदान के आधार पर होना चाहिए।

;पपद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत प्रांरभ किए गए काम ग्रामीण क्षेत्रों में होने चाहिए। हालांकि राज्य सरकार कुछ प्रकार के कामों को ग्रामीण क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में करा सकती है, जो वैध होगा।

;पपपद्ध जहां तक संभव हो कार्यक्रम में अकुशल मजदूरों के कौशलों को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए।

;पअद्ध किसी भी परिस्थिति में मजदूरों को राज्य में खेतिहर मजदूरों के लिए स्वीकृत कानून सम्मत न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी नहीं दी जाएगी।

;अद्ध जहां मजदूरी का, काम की गुणवत्ता से सीधा संबंधित हो, वहां मजदूरी निर्धारित दरों की सूची के आधार पर दी जानी चाहिये। राज्य सरकार द्वारा हर वर्ष विभिन्न कामों के लिए इस सूची का निर्धारण किया जाना चाहिए और उसे राज्य कौंसिल द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए। अकुशल श्रमिकों के लिए दरें इस तरह निर्धारित की जानी चाहिए कि सात घंटे परिश्रम करने वाले व्यक्ति को उस राज्य में उस समय लागू खेतिहर मजदूर के लिए कानून सम्मत न्यूनतम मजदूरी के बराबर भुगतान जरूर मिले।

;अपद्ध कार्यक्रम अधिकारी या ग्राम पंचायत, किसी भी व्यक्ति को कार्यक्रम के अंतर्गत अनुमोदित किसी भी प्रकार का काम करने का निर्देश दे सकते हैं।

;अपपद्ध ग्राम पंचायत द्वारा इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रारंभ किए गए कामों में ठेकेदारों का उपयोग नहीं किया जाएगा।

;अपपपद्ध इस कार्यक्रम नियमों के अंतर्गत उल्लिखित विशिष्ट कामों के अतिरिक्त तथा प्रत्येक मामले में संबंधित प्रबोधन एजेंसियों की अनुमति के बिना परियोजनाएं लागू करने में ठेकेदारों को नहीं लगाया जाएगा। अगर ठेकेदारों का उपयोग होगा तो भी मजदूरी का भुगतान सरकार सीधे मजदूरों को करेगी, तथा शेष सभी अर्थों में अनुबंधित श्रम नियामन व निषेध अधिनियम लागू होगा।

8. रोजगार गारंटी की शर्तें

1. प्रत्येक वयस्क जो

   ;पद्ध किसी ग्रामीण क्षेत्र में रहता हो;

   ;पपद्ध कोई अकुशल शारीरिक काम करने का इच्छुक हो अपना नाम व पता ग्राम पंचायत में लिखवा कर स्वयं को पंजीकृत कर सकता/सकती है। ग्राम पंचायत का दायित्व होगा कि वह उसका नाम पंजीकृत कर उसे एक रोजगार कार्ड दे जिस पर तिथि अंकित हो व संबंधित व्यक्ति का फोटो हो। यह पंजीकरण उस अवधि के लिए होगा जो कार्यक्रम के लिए तय की गई हो, परन्तु किसी भी हालत में यह पांच पर्ष से कम अवधि के लिए नहीं होगी और उसे समय–समय पर नवीनीकृत किया जा सकेगा।

2. प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति को उस समय लागू कार्यक्रम के अंतर्गत, जितने दिनों के लिए वह प्रार्थना करे, न्यूनतम मजदूरी पर लाभदायक रोजगार प्राप्त करने का अधिकार है। सभी प्रार्थियों को कम से कम लगातार 14 दिनों का काम मिलना चाहिए।
3. यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी कि वह कार्यक्रम के प्रावधानों के अंतर्गत प्रार्थनापत्र प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर प्रार्थी या प्रार्थिनी को उस ब्लाक के भीतर रोजगार उपलब्ध करा दे जहां उसने प्रार्थनापत्र दिया है।
4. कार्यक्रम नियमों के अनुसार प्रार्थी को लिखित आवेदन ग्राम पंचायत या कार्यक्रम अधिकारी को निर्धारित प्रक्रिया द्वारा दिया जाना चाहिए। ग्राम पंचायत या कार्यक्रम अधिकारी, वैध आवेदनों को स्वीकार करने और आवेदनों की तारीख सहित रसीद देने के लिए बाध्य होंगे। नियमों के अनुसार सामूहिक आवेदन भी प्रेषित किए जा सकेंगे।

5. नियमों में निर्धारित प्रक्रियाओं के अंतर्गत काम मिलने वाले प्रार्थियों की उनके रोजगार कार्ड में उल्लिखित पते पर लिखित सूचना भेजी जानी चाहिए तथा एक सार्वजनिक सूची ग्राम पंचायत भवन पर लगा देनी चाहिए।
6. जहां तक संभव हो प्रार्थी को उस गांव के 5 किलोमीटर के दायरे के भीतर रोजगार दिला दिया जाना चाहिए जहां वह प्रार्थनापत्र देने के समय रहता था। जहां रोजगार इस घेरे के बाहर दिलाया जाता है वहां भी इसे ब्लाक के भीतर ही होना चाहिए। साथ ही कार्यक्रम के नियमों के अनुसार उसे यातायात भत्ता तथा दैनिक जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाना चाहिए।
7. यदि प्रार्थी को उप–धारा 8(3) में बतायी विधि के अनुसार प्रार्थनापत्र देने के 15 दिन के भीतर रोजगार नहीं दिया जाता तो वह दैनिक बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने का अधिकारी होगा/होगी।
8. बेरोजगारी भत्ते का भुगतान उस दर से किया जाएगा जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर घोषित की जाएगी तथा राज्य कौंसिल द्वारा अनुमोदित की जाएगी, पर यह दर राज्य में कृषि मजदूरों के लिए तय न्यूनतम मजदूरी के एक तिहाई से कम नहीं होगी।
9. नियमों में पूर्व आवेदन का प्रावधान रखा जाएगा अर्थात् जिस तिथि से रोजगार चाहा जाए उसके पहले ही व्यक्ति रोजगार के लिए आवेदन प्रेषित कर सकेगा। ऐसे मामलों में अगर आवेदन में उल्लिखित तिथि से 15 दिन के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं करवाया जा सकेगा तो आवेदक बेरोजगारी भत्ते का हकदार होगा।
10. निर्धारित प्रक्रियाओं तथा नियमों के अनुसार एक ही व्यक्ति अलग–अलग समय पर एकाधिक आवेदन प्रस्तुत कर सकता बशर्ते रोजगार अवधि की तिथियां समान न हों।
11. कार्यक्रम नियमों के अनुसार ग्राम पंचायत को रजिस्टर बनाने होंगे तथा प्रार्थियों को परिचय पत्र या पास बुक देने होंगे जिसमें रोजगार कार्ड भी शामिल होगा। रोजगार कार्ड में आवेदन की तारीखें, रोजगार देने की तारीखें, किए गए भुगतान तथा अन्य संबंधित विवरण दर्ज होने चाहिए।
12. अगर ग्राम पंचायत को आवश्यक तहकीकात के बाद पता चले कि किसी व्यक्ति ने अपने नाम, आयु, आवास संबंधी झूठी घोषणा के आधार पर पंजीकरण करवाया है तो वह कार्यक्रम अधिकारी को उक्त व्यक्ति का नाम हटाने की अनुशंसा कर सकती है। तत्पश्चात् कार्यक्रम अधिकारी व्यक्ति को उसका पक्ष रखने का अवसर देंगे तथा आवश्यक लगने पर उसका नाम काटा जा सकेगा।

9. कार्यक्रम के अंतर्गत रोजगार प्राप्त मजदूरों के अधिकार

1. यदि इस कार्यक्रम के अंतर्गत काम कर रहा कोई व्यक्ति रोजगार के दौरान दुर्घटना के कारण घायल होता है तो उसे कार्यक्रम में अनमोदित डाक्टरी इलाज की सुविधा मुफ्त दी जाएगी। अस्पताल में भर्ती की आवश्यकता होने पर राज्य सरकार उसे अस्पताल में भर्ती करने की व्यवस्था करेगी, जिसमें भर्ती, इलाज और दवाओं के साथ–साथ दैनिक भत्ता भी दिया जाना चाहिए जो खेतिहर मजदूरों के लिए कानूनी न्यूनतम मजदूरी के आधे से कम न हो। ऐसे व्यक्ति की मृत्यु या अपंगता की स्थिति में कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम के अनुसार अनुग्रह अनुदान राशि का भुगतान किया जाएगा।
2. कार्यस्थल पर निम्न सुविधाएं होनी चाहिए:
(प) पीने का साफ पानी; (पप) आराम करने तथा छोटे बच्चों के लिए छायादार स्थान (शेड); (पपप) एक प्राथमिक चिकित्सा पेटी जिसमें काम के लिहाज से छोटी–मोटी चोटों, लू लगन, शरीर दर्द, तथा काम के दौरान घटने वाली अन्य स्वास्थ्य आपदाओं के लिए की आपात चिकित्सा की उपयुक्त सामग्री हो।
3. यदि काम के किसी एक स्थान पर कम से कम 20 महिलाओं को रोजगार दिया गया हो तो आवश्यक होने पर कार्यस्थल पर ही 6 वर्ष से छोटे बच्चों की देखभाल के लिए एक महिला

को रखा जाना चाहिए। बच्चों की देखभाल नियुक्त की जाने वाली इस महिला को राज्य में खेतिहर मजदूरों की कानूनसम्मत न्यूनतम मजदूरी दी जानी चाहिए।

4. यदि भुगतान में विलम्ब हो, यानी काम करने वाले सप्ताह के 7 दिन के बाद भुगतान किया जाए, तो वेतन भुगतान अधिनियम के अनुसार श्रमिकों को मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार है।
5. राज्य कौंसिल के दिशा–निर्देशों के अनुसार मजदूरी का भुगतान नकद या सामग्री या दोनों के रूप में किया जा सकता है।
6. भुगतान का एक अंश, जो कुल भुगतान के 5 प्रतिशत से अधिक न हो, कार्यक्रम में कार्यरत श्रमिकों के हित में लागू की जाने वाली कल्याण योजनाओं जैसे जीवन यापन भत्ता, स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा, मातृत्व लाभ तथा सामाजिक सुरक्षा योजना के लिए काटा जा सकता है। श्रमिकों के हित में इन राशियों के पारदर्शी व जवाबदेह उपयोग के लिए कठोर नियम व प्रक्रियाएं लागू होंगी, तथा राज्य सरकार द्वारा समान राशि उपलब्ध करवाने का प्रावधान होगा। राज्य कौंसिल समय–समय पर इसके उपयोग की समीक्षा करेगी। जब तक प्रासंगिक सामाजिक सुरक्षा योजनाएं लागू नहीं हो जातीं, तब तक भुगतान में से किसी प्रकार की कटौती नहीं होगी।
7. कार्यक्रम में कार्यरत व्यक्ति के साथ आया कोई बालक अगर दुर्घटनावश घायल हो जाता है तो, उस व्यक्ति को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सामान्य या विशेष आदेश के जरिए बालक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी तथा मृत्यु या अपंगता की स्थिति में नियमानुसार अनुग्रह अनुदान राशि का भुगतान किया जाएगा।
8. समान भुगतान अधिनियम 1976 के अनुरूप रोजगार उपलब्ध करवाने या भुगतान के विषय में किसी भी स्थिति में किसी भी प्रकार का लिंगभेद नहीं किया जाएगा।
9. जो लोग शारीरिक या मानसिक अशक्तता के कारण अकुशल शारीरिक मजदूरी करने की स्थिति में नहीं हैं उनके रोजगार के लिए उनकी क्षमताओं के अनुरूप काम की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। पंजीकरण के समय ऐसी अशक्तताओं को रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा।

10. बेरोजगारी भत्ता

1. जिस तारीख को रोजगार के लिए प्रार्थनापत्र दिया जाए उसके 15 दिन समाप्त होने के बाद उप–धारा 8 (7) के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता देना राज्य की जिम्मेदारी बनती है। यह जिम्मेदारी उस समय समाप्त होगी जब– (प) ग्राम पंचायत या कार्यक्रम अधिकारी द्वारा प्रार्थी को काम पर आने का निर्देश दिया जाता है, या (पप) जिस अवधि के लिए रोजगार की प्रार्थना की गई थी वह समाप्त हो जाती है।
2. यदि किसी प्रार्थी को रोजगार दिया गया है और वह उप–धारा 8(5) में उल्लिखित तारीख के 15 दिन के भीतर काम पर नहीं आता है, या जो बिना छुट्टी का आवेदन दिए काम से एक सप्ताह से अधिक अनुपस्थित रहता है, वह रोजगार के लिए प्रार्थनापत्र देने या 15 दिन के लिए बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने का अधिकार खो देगा।
3. किसी भी योग्य प्रार्थी को उप धारा 8(7) के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता देना कार्यक्रम अधिकारी या इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिकृत स्थानीय अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाएगा। राज्य सरकार बेरोजगारी भत्ते के भुगतान के विषय में उचित प्रक्रिया तय कर सकेगी, बशर्ते यह भुगतान जिस सप्ताह देय हो उससे 7 दिवस से अधिक के बाद न किया जाए।
4. उन सभी मामलों में जहां बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, या दिया जाना है उनमें कार्यक्रम अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह लिखित रूप से यह बताए कि प्रार्थी को रोजगार देना संभव क्यों नहीं हो सका। इसी तरह का स्पष्टीकरण जिलाधीश (या मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जैसी स्थिति हो) को राज्य कौंसिल की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में भी देना होगा। राज्य सरकार को इन मामलों में नियमों के हिसाब से उचित कार्रवाई करनी होगी।

11. ग्राम पंचायत तथा कार्यक्रम अधिकारी के कार्य

1. कार्यक्रम आधिकारी अपने क्षेत्राधिकार में परियोजना द्वारा पैदा किए जाने वाले रोजगार के अवसरों तथा रोजगार की मांग के बीच संतुलन बनाने के लिए जिम्मेदार होगा। इन परियोजनाओं में ग्राम पंचायतों द्वारा कराए जाने वाले कामों के अलावा अन्य एजेंसियों द्वारा कराए जाने वाले काम भी शामिल हैं।
2. कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यक्रम अधिकारी की जिम्मेदारियों में निम्न भी शामिल हैं– (प) ब्लाक के भीतर ग्राम पंचायतों तथा अन्य एजेंसियों द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली परियोजनाओं का प्रबोधन; (पप) बेरोजगारी भत्तों को स्वीकृति तथा उनका भुगतान सुनिश्चित करना; (पपप) ब्लाक के भीतर कार्यक्रम के अंतर्गत रोजगार प्राप्त सभी मजदूरों को उचित मजदूरी का त्वरित भुगतान सुनिश्चित करना; (पअ) ब्लाक में परियोजना लागू करने के बारे में जनता की किसी भी शिकायत का तुरन्त निबटारा करना; (अ) यह सुनिश्चित करना कि ग्राम पंचायत के अंतर्गत कराए गए कामों का ग्राम सभा द्वारा सामाजिक अंकेक्षण किया जाए तथा इस दौरान उठने वाली आपत्तियों पर तुरन्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
3. कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर प्रत्येक ग्राम सभा (या वार्ड सभा जैसी स्थिति हो) द्वारा संस्तुत की गई परियोजनाओं की योजना बनाने, उन्हें क्रियान्वित करने तथा उनकी निगहबानी की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की है। ग्राम पंचायत द्वारा ली गई परियोजनाओं को कार्यक्रम अधिकारी द्वारा प्रशासनिक अनुमति मिलनी चाहिए।
4. प्रत्येक ग्राम पंचायत को एक वार्षिक विकास योजना बनानी होगी तथा कार्यक्रम के अंतर्गत किए जाने वाले संभावित कामों की एक सूची बनानी चाहिए, जिनको काम की मांग बढ़ने पर ग्राम सभा (या वार्ड सभा जैसी स्थिति हो) की संस्तुतियों के आधार पर लागू किया जा सके। इन परियोजनाओं के प्रस्तावों को, जो विभिन्न कामों की प्राथमिकता के अनुसार सूचीबद्ध हों, जांच तथा प्रारम्भिक संस्तुति के लिए कार्यक्रम अधिकारी के पास भेजना होंगी।
5. कार्यक्रम के अंतर्गत किए जाने वाले कामों की योजना बनाने तथा उनके चयन में, उन कामों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनकी ग्राम सभा या ग्राम पंचायत ने संस्तुति की है। जिन मामलों में इस प्राथमिकता को अस्वीकार किया जाएगा वहां कार्यक्रम अधिकारी को लिखित स्पष्टीकरण देना होगा।
6. कार्यक्रम अधिकारी को प्रत्येक ग्राम पंचायत को ग्रंाम पंचायत स्तर पर संस्तुत कामों के मस्टर रोल भेजने होंगे तथा ग्राम पंचायत के निवासियों को दूसरी जगह उपलब्ध रोजगार के अवसरों की सूची भेजनी होगी। ग्राम पंचायत को रोजगार अवसरों को प्रार्थियों में बांट कर उनको काम पर जाने का निर्देश देना होगा।
7. कानून के अंतर्गत अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए ग्राम पंचायत तथा कार्यक्रम अधिकारी को उचित स्टाफ तथा तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी।
8. कार्यक्रम नियमों के अंतर्गत ब्लाक तथा जिला स्तरों पर समुचित समितियों का गठन शामिल होना चाहिए ताकि– (प) ब्लाक और जिला स्तरों पर संभावित परियोजनाओं की सूची बनाई जा सके, (पप) ब्लाक या जिला स्तर पर चल रही परियोजनाओं को दिशानिर्देश दिए जा सकें; या उनका मूल्यांकन तथा निगहबानी की जा सके; (पपप) ब्लाक या जिला स्तर पर चल रही परियोजनाओं के संबंध में उठने वाली सार्वजनिक शिकायतों का निराकरण किया जा सके। कार्यक्रम नियमों में चयनित जनप्रतिनिधियों, महिलाओं और वंचित समुदायों के प्रतिनिधियों को उचित संख्या में शामिल करने का प्रावधान किया जाना चाहिए। कार्यक्रम नियमों में समितियों को उपयुक्त स्तर पर चुने हुए जनप्रतिनिधियों के प्रति जवाबदेह बनाने की बात शामिल की जानी चाहिए।

12. पारदर्शिता एवं जवाबदेही

1. कार्यक्रम क्रियान्वयन के लिए उपलब्ध करवाई गई राशियों के लिए जिलाधीश (या मुख्य कार्यकारी अधिकारी जैसी स्थिति हो) जिम्मेदार होंगे। वे उपलब्ध करवाए गए रोजगार तथा व्यय का नियमानुसार लेखाजोखा रखेंगे।
2. राज्य सरकार कार्यक्रम के नियमों के अंतर्गत कार्यक्रम क्रियान्वयन के सभी स्तरों पर पारदर्शिता तथा जवाबदेही की समुचित व्यवस्था करेगी। इसमें निम्न शामिल होंगे:
   (प) कार्यक्रम के अंतर्गत किए जाने वाले कामों का नियमित निरीक्षण
   (पप) प्रत्येक ग्राम पंचायत, कार्यक्रम अधिकारी तथा जिलाधीश (या मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जैसी भी व्यवस्था हो) को अपने क्षेत्राधिकार में कार्यक्रम क्रियान्वयन की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करनी होगी। सुविधाजनक रूप में इस रिपोर्ट को जनता के मूल्यांकन हेतु भी प्रस्तुत किया जाएगा।
   (पपप) कार्यक्रम से संबंधित सभी खाते सुविधाजनक रूप में जनता के मूल्यांकन हेतु प्रस्तुत किये जाएंगे। नियमों में निर्धारित विधियों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति द्वारा मांगने पर लागत मूल्य पर इसकी प्रति उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
   (पअ) काम पूरा हो जाने के बाद प्रत्येक परियोजना की संक्षिप्त सूचना, उसमें आए खर्च तथा कितने लोगों को रोजगार दिया गया आदि का विवरण कार्यस्थल के पास उपयुक्त स्थान पर बोर्ड पर प्रदर्शित करना होगा। इसी प्रकार की सूचना पंचायत कार्यालय की दीवालों पर लिखवाई जा सकती है जिसका समय–समय पर नियमानुसार नवीनीकरण किया जाएगा।
   (अ) ग्राम पंचायत में चल रही प्रत्येक परियोजना के मस्टर रोल की प्रति ग्राम पंचायत कार्यालय में लगाई जाएगी तथा वह तब तक लगी रहनी चाहिए जब तक मजदूरी का भुगतान न हो जाए।
   (अप) ग्राम सभा, ग्राम पंचायत में चलने वाले सभी कामों का प्रबोधन करेगी। अपने क्षेत्राधिकार में चलने वाली सभी परियोजनाओं का सामाजिक मूल्यांकन करना ग्राम सभा (और यदि लागू हो तो वार्ड सभा) का खास काम है। सामाजिक अंकेक्षण के लिए सभी प्रासांगिक दस्तावेजों, मस्टर रोल, बिल, वाउचर, नापजोख पुस्तिका, अनुमति पत्र आदि को ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ग्राम सभा द्वारा प्रासंगिक सामाजिक अंकेक्षणों के पूरा होने के बाद ही कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा चलाई परियोजनाओं का काम पूरा होने तथा पैसे का उपयोग होने का प्रमाणपत्र जारी किया जाना चाहिए।
   (अपप) किए गए कार्यों के उत्पादकता संबंधी पक्षों का मूल्यांकन तकनीकी रूप से दक्ष लोगों द्वारा किया जाएगा ताकि आवश्यक तकनीक स्तर तथा मापजोख सुनिश्चित हो सके। इस संबंध में रह गई कमियों की जिम्मेदारी निरीक्षण करने वाले अधिकारियों की मानी जाएगी।

(3) मजदूरी या बेरोजगारी भत्ते का भुगतान पूर्व घोषित तिथियों को समुदाय की उपस्थिति में किया जाएगा।

(4) ग्राम पंचायत द्वारा किए गए कार्यों के क्रियान्वयन संबंधी विवाद या शिकायत की स्थिति में मामला कार्यक्रम अधिकारी को प्रेषित किया जाएगा, जिसे सात दिवसों के अंदर शिकायत का निपटारा करना होगा। नियमों में शिकायत रजिस्टर रखने तथा शिकायत प्राप्ति की रसीदें जारी करने के संबंध में समुचित प्रावधान किया जाएगा।

13. अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन पर दण्ड

1. कोई भी कार्यक्रम अधिकारी, जो बिना यथोचित कारण के इस अधिनियम की जिम्मेदारियां पूरा नहीं करेगा/करगी उसे दोषी पाए जाने पर कम से कम रु. 1000 का या छह माह का कारावास, या दोनों का दण्ड दिया जाएगा।

14. राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष की स्थापना और उपयोग

1. इस कानून को लागू होने के तिथि से राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष के नाम से एक अच्युत (नॉन–लैप्सेबल) कोष स्थापित किया माना जाएगा।
2. इस राष्ट्रीय कोष में जो राशि अंतरित या जमा की जाएगी वह भारत के समेकित कोष में प्रभारित होगी।
3. राष्ट्रीय कोष में जमा राशि उस प्रकार तथा उन शर्तों के तहत विस्तृत की जाएगी जिन्हें इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए बनाया गया हो।
4. निम्न राशियां भी इस राष्ट्रीय कोष का हिस्सा होंगी या उसमें जमा की जाएंगीः

(क) माल तथा सेवा कर का कम से कम दसवां भाग; (ख) केंद्र सरकार द्वारा सुनिश्चित किए गए विभिन्न स्त्रोतों से अंतरित राशियां; (ग) केंद्र सरकार 'रोजगार गारंटी कर' नामक एक नया कर भी लागू कर सकती है; (घ) इस कानून द्वारा दी गई हकदारियां सुनिश्चित करने के लिए जितने भी संसाधनों की आवश्यकता हो, वह राष्ट्रीय समेकित कोष से लिए जाएंगे।

5. राष्ट्रीय कोष में जमा धन का प्रयोग केवल कार्यक्रम को लागू करने के उद्देश्य से किया जाएगा।
6. रोजगार गारंटी कार्यक्रम में मजदूरी के हिस्सा का भुगतान केंद्र सरकार, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष से करेगी। कार्यों के लिए आवश्यक सामग्री का व्यय केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारें बराबर–बराबर करेंगी। बेरोजगारी भत्ते का भुगतान राज्य सरकार को करना होगा।
7. कोष के खातों का अंकेक्षण मानक विधियों के अनुसार किया जायगा तथा उसे लोकसभा को प्रस्तुत किया जाएगा तथा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में सुविधाजनक रूप में जनता के निरीक्षण हेतु उपलब्ध करवाया जाएगा।
8. कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित कोष का कम से कम 50 प्रतिशत हिस्सा ग्राम पंचायतों को उनकी परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा।

15. राज्य रोजगार गारंटी कोषों की स्थापना व उपयोग

(1) इस कानून के लागू होने की तिथि से प्रत्येक राज्य में राज्य सरकार गारंटी कोष नाम से एक अच्युत (नॉन लेप्सेबल) कोष की स्थापना किया माना जाएगी।

(2) इस में जो भी राशि अंतरित या जमा की जाएगी वह राज्य के समेकित कोष में प्रभारित होगी।

(3) राज्य कोष में जमा राशि उस प्रकार तथा उन शर्तों के तहत विस्तृत की जाएगी जिन्हें इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के उद्देश्य से बनाया जाएगा (इसमें कानून के प्रावधानों के अनुसार प्रशासनिक व्यय तथा अनुग्रह अनुदान भुगतान पर आने वाले खर्च भी शामिल होंगे)।

(4) इस कोष में जमा राशि का उपयोग केवल इसी कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए किया जाएगा।

(5) प्रत्येक वर्ष के अंत में इस कोष के आय–व्यय का अंकेक्षण मानक विधियों के अनुसार करने के पश्चात इसे राज्य विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा तथा निरीक्षण के लिए सुविधाजनक रूप में जनता को उपलब्ध करवाया जाएगा।

(6) राज्य सरकार के नाम पर यह कोष किसी ऐसे अधिकारी द्वारा प्रबंधित होगा जिसका स्तर राज्य सरकार के सचिव से नीचा न हो। यह प्रबंधन समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए सामान्य अथवा विशेष निर्देशों के अनुसार होगा।

16. शक्तियों का हस्तांतरण

सरकारी गजट में प्रकाशन के बाद, सरकार यदि चाहे तो कार्यक्रम तथा नियम बनाने की शक्ति को छोड़ कर, गजट में घोषित परिस्थितियों में स्वयं द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों का हस्तांतरण ऐसे अधिकारी या अधिकारियों को कर सकती है जिनका गजट में उल्लेख किया गया हो।

17. कानून का निरस्तीकरण प्रभाव

कार्यक्रम नियमों के अनुसार इस कानून या इसके अंतर्गत जारी आदेशों तथा अधिसूचना, तत्कालीन समय में लागू किसी अन्य कानून या ऐसे कानूनों द्वारा बनाए किन्हीं प्रावधानों से असंगत होने के बावजूद प्रभावी रहेंगे।

18. नियम बनाने की शक्तियां

1. सरकारी गजट में अधिसूचना के बाद इस कानून के अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति केन्द्रीय सरकार में निहित होगी।
2. इस कानून में निहित नियम बनाने की शक्तियों के साथ ही, इस कानून को लागू करने के उद्देश्य से, राज्य सरकारें इस कानून या इसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए नियमों से सुसंगत नियम बना सकती हैं।
3. इस कानून के अंतर्गत बनाए जाने वाले सभी नियमों का पूर्व प्रकाशन आवश्यक है।
4. इस कानून के तहत बनाया गया प्रत्येक नियम, बनने के यथासंभव शीघ्रता के साथ संसद के दोनों सदनों के उन सत्रों के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे, जो एक या दो सत्रों में तीस दिन तक चलने वाले हों। और यदि सत्र समाप्ति के पहले दोनों सदन इस बात पर सहमत हो जाते हैं कि वे नियम गजत में प्रकाशित नहीं होंगे या किसी अन्य दिनांक से होंगे तो वे नियम संशोधित रूप में व दिनांक से लागू होंगे। परन्तु इन संशोधनों से, संशोधन से पहले इस अधिनियम के अंतर्गत किए गए कार्यों की वैधता प्रभावित नहीं होगी।